महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः 116 /8–2/3(ए)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2018–19

प्रेषकः

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव
उद्यान विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषितः

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभागः देहरादूनः दिनांकः मई 08 , 2018

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतीकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर 2017 को महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी जिसमें महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा गुणवत्तापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासनादेश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या 950/8–2/3(ए)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2009–10 दिनांक 30 जनवरी 2018 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतीकरण किये जाने हेतु संयुक्त शासनादेश जारी किये गये हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में डा० नृपेन्द्र चौहान, निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 51/मनरेगा/कैप/2018–19 दिनांक 19 अप्रैल 2018 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की योजनाओं के साथ बहुवर्षीय फसलें (Perennial crops) यथा– लैमनग्रास, डेमस्क गुलाब, तेजपात/तिमूर एवं जापानीमिन्ट का 293.42 हे० क्षेत्रफल में कुल 290.92 लाख का कृषिकरण किये जाने हेतु केन्द्राभिसरण सम्बन्धी क्लस्टरवार कार्ययोजना/प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है (विस्तृत कार्ययोजना संलग्न)–

क्र०सं०	जनपद	क्लस्टर	क्षेत्रफल (हे०)	कुल लागत (लाख रु०)
1	पौड़ी	कोट	8.50	7.252
		पाबौ	6.00	5.896
		पीडा	12.00	11.792
		कल्जीखाल	10.00	10.047
		योग	**36.50**	**34.987**
2	देहरादून	किस्तुड	10.00	18.863
		कालसी	5.04	6.062
		तोलीभूड	9.00	10.825
		योग	**24.04**	**35.749**
3	हरिद्वार	तेलपुरा–राजाजी पार्क	50.96	44.671
		खानपुर	16.50	11.468
		नारसन	16.00	10.867
		योग	**83.46**	**67.006**

4	नैनीताल	बेतालघाट	10.00	5.425
		हल्द्वानी	19.16	12.119
		कमोला	10.00	5.425
		सुन्दरखाल	13.20	13.880
		तुषराड	12.00	9.198
		रामगढ़	13.90	12.916
		रामनगर	13.00	9.033
		योग	**91.26**	**67.996**
5	अल्मोड़ा	थापला	10.00	12.144
		देघाट	10.24	9.649
		चौखुटिया	9.00	10.211
		योग	**29.24**	**32.004**
6	चमोली	औली–जोशीमठ	**10.00**	**18.863**
7	रुद्रप्रयाग	गैणगांव–मनसूना	**5.92**	**11.167**
8	उत्तरकाशी	मोरी	**10.00**	**18.863**
9	टिहरी	नरेन्द्रनगर	**3.00**	**4.292**
	महायोग		**293.42**	**290.924**

उक्त सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 993/8–2/3(ए)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2009–10 दिनांक 15 फरवरी 2018 द्वारा पूर्व में भी उक्त कार्ययोजना संलग्न कर प्रेषित की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

- सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा चयनित परियोजनाओं के महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार अनुमन्यता के आधार पर विस्तृत आगणनों की प्राप्ति के पश्चात् सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश पारित करेंगे।

- कार्यस्थल पर कार्य, पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही सम्पन्न कराया जायेगा जिस हेतु कैप द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से मांग की जायेगी तद्नुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की सूची कैप को उपलब्ध करा दी जायेगी।

- कैप द्वारा श्रमिकों को 15 दिन के भीतर कार्य आवंटन न किये जाने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

- कैप द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होगा जिसका पृथक वर्क कोड होगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर eMR जारी किये जाएंगे। कैप मस्टर रोल भर जाने पर अथवा कार्य की समाप्ति पर eMR को नरेगासॉफ्ट (MIS) में एन्ट्री किये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा वहन की जाने वाली श्रमांश की धनराशि eFMS/PFMS/NeFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में तथा कैप द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि जिला उद्यान अधिकारी/सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

- कैप द्वारा कार्य की प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी नरेगासॉफ्ट में अद्यतन करेंगे।

- कैप द्वारा कार्यक्रम की जानकारी हेतु कार्यस्थल पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट के अनुसार निर्मित नागरिक सूचना पट्ट (CIB) शासनादेश संख्या 160/148/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/ 2016–17 दिनांक 1 जून 2017 के अनुसार लगाया जायेगा।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग किसी भी स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इस प्राविधान का उल्लंघन आपराधिक कृत्य होगा।
- उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा कैप द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार/प्रावधानों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- कैप के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा जिला उद्यान अधिकारी/सक्षम अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।
- केन्द्राभिसरण के माध्यम से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य की geotagging महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय। इसका उत्तरदायित्व जिला विकास अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी का होगा।
- योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा-निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों तथा महात्मा गांधी नरेगा दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 की संलग्न केन्द्राभिसरण सम्बन्धी कार्ययोजना के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डी० सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव
उद्यान

भवदीया

(हस्ताक्षर)

(मनीषा पंवार)
ह० प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास

संख्याः 116 /8-2/3(ए)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2018-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमाऊँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव/निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), उत्तराखण्ड।

(हस्ताक्षर)

(मनीषा पंवार)
ह० प्रमुख सचिव

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप)

Centre for Aromatic Plants (CAP)

उत्तराखण्ड सरकार,
Govt. of Uttarakhand

इण्डस्ट्रियल स्टेट, सेलाकुई-248197, देहरादून (उत्तराखण्ड), भारत
Industrial Estate, Selaqui-248197, Dehradun, (Uttarakhand), India
टैलीफैक्स:- 91-135-2698305, ई-मेल:- cap.dun@gmail.com

पत्रांक 51 /मनरेगा /कैप/2018-19 दिनांक सेलाकुई 19/4/18

सेवा में,

आवश्यक/महत्वपूर्ण

अपर सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन

विषयः- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्राभिसरण /युगपतीकरण की योजना उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

संज्ञान में लाना है कि मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की दिनांक 29 नबम्बर 2017 की बैठक की अनुपालन आख्या कार्यालय पत्रांक 1282/ मनरेगा /2017-18 दिनांक 30.12.2017 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

कैप में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 300 हैक्टेअर क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, चयनित कलस्टरों की सूची, बीज-पौध आपूर्ति की व्यवस्था तथा व्यय की जाने वाली धनराशि की आदि से सम्बन्धित कार्ययोजना संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

M.S (R.D)
23-04-18

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव, ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

भवदीय,

(डा0 नृपेन्द्र चौहान)
निदेशक

DS
24/4

S.O.
25.4.18

P.C (Manrega)
R.O (R)
26/4/18

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

38
08/5/18

9.5.18

D:\2018-19\MGNREGA\G. Letter 18-19.doc

सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में सगन्ध कृषिकरण हेतु
फसलवार/कलस्टरवार, क्षेत्रफल एवं कुल लागत

क्र0 सं0	जनपद	कलस्टर	लेमनग्रास कृषक संख्या	लेमनग्रास क्षे0 (है0)	लेमनग्रास लागत (@120275 रू0/ है0)	डेमस्क गुलाब कृषक संख्या	डेमस्क गुलाब क्षे0 (है0)	डेमस्क गुलाब लागत (@ 188625 रू0/ है0)	तेजपात/तिमूर कृषक संख्या	तेजपात/तिमूर क्षे0 (है0)	तेजपात/तिमूर लागत (@ 54250 रू0/ है0)	जापानीमिन्ट कृषक संख्या	जापानीमिन्ट क्षे0 (है0)	जापानीमिन्ट लागत (@ 36500 रू0/ है0)	योग कृषक संख्या	योग क्षे0 (है0)	योग कुल लागत (रू0)
1	पौड़ी	कोट	55	4	481100			0	46	4.5	244125			0	101	8.50	725225.00
		पावों	8	4	481100			0	15	2	108500			0	23	6.00	589600.00
		पीडा	41	8	962200			0	39	4	217000			0	80	12.00	1179200.00
		कल्जीखाल	54	7	841925			0	44	3	162750			0	98	10.00	1004675.00
		योग	158	23.0	2766325	0	0	0	144	13.5	732375	0	0.0	0	302	36.50	3498700.00
2	देहरादून	किस्तुड			0	43	10	1886250			0			0	43	10.00	1886250.00
		कालसी	14	5.04	606186			0			0			0	14	5.04	606186.00
		तोलीभूड	63	9	1082475			0			0			0	63	9.00	1082475.00
		योग	77	14.04	1688661	43	10.0	1886250	0	0	0	0	0	0	120	24.04	3574911.00
3	हरिद्वार	तेलपुरा–राजाजी	36	31.12	3742958			0			0	25	19.84	724160	61	50.96	4467118.00
		खानपुर	9	6.5	781788			0			0	10	10	365000	19	16.50	1146787.50
		नारसन	14	6	721650			0			0	11	10	365000	25	16.00	1086650.00
[redacted]																	
4	नैनीताल	बेतालघाट			0			0	146	10	542500			0	146	10.00	542500.00
		हल्द्वानी	9	4	481100			0	75	10	542500		5.16	188340	84	19.16	1211940.00
		कमोला			0			0	160	10	542500			0	160	10.00	542500.00
		सुन्दरखाल			0	43	5	943125	72	8	444850			0	115	13.20	1387975.00
		तुषराड			0	10	2	377250	121	10	542500			0	131	12.00	919750.00
		रामगढ			0	127	4	754500	224	10	537075			0	351	13.90	1291575.00
		रामनगर	31	3	360825			0	51	10	542500			0	82	13.00	903325.00
		योग	40	7.0	841925	180	11.0	2074875	849	68.10	3694425	0	5.16	188340	1069	91.26	6799565.00
5	अल्मोड़ा	थापला			0	52	5	943125	42	5	271250			0	94	10.00	1214375.00
		देघाट	44	6.2	745705			0	55	4.04	219170			0	99	10.24	964875.00
		चौखुटिया	22	4	481100	17	2	377250	36	3	162750			0	75	9.00	1021100.00
		योग	66	10.2	1226805	69	7.0	1320375	133	12.04	653170	0	0	0	268	29.24	3200350.00
6	चमोली	औली–जोशीमठ			0	285	10.0	1886250			0			0	285	10.00	1886250.00
7	रूद्रप्रयाग	गैणनाथ–मस्तूरा			0	80	5.92	1116660			0			0	80	5.92	1116660.00
8	उत्तरकाशी	सौरी			0	16	10.0	1886250			0			0	16	10.00	1886250.00
9	टिहरी	नरेन्द्रनगर	20	2.00	240550	20	1.00	188625			0			0	40	3.00	429175.00
		योग	420	100	12010661.5	693	55	10359285.0	1126	94	5079970.0	46	45	1642500.0	2285	293.42	29092416.50

Centre for Aromatic Plants
CAP
Ph.: 2698305
Selaqui, Dehradun

मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बीज–पौध आपूर्ति की कार्ययोजना

क.सं	फसल का नाम	प्रस्तावित कृषिकरण क्षेत्रफल (हे0)	कुल आवश्यक पौध (संख्या/मात्रा)	आपूर्ति स्रोत
1.	लैमनग्रास	100	50,00,000	कैप, सेलाकुई नरसरी एवं पंजीकृत कृषकों से
2.	डैमस्क गुलाब	55	1,48,500	कैप, सेलाकुई नरसरी एवं पंजीकृत कृषकों से
3.	तेजपात/तिमूर	94	47,000	कैप, सेलाकुई नरसरी, पंजीकृत कृषकों से एवं राजकीय संस्थाओं से
4.	जापानी मिन्ट	45	225 कु0	पंजीकृत कृषकों से अथवा खुले बाजार से
	योग	294		

....

Centre for Aromatic Plants
CAP
Ph.: 2698305
Selaqui, Dehradun

C:\Users\welcome\Desktop\Planting material arengment 18-19.doc

मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में पौध प्रत्यारोपण की कार्ययोजना

क.सं	फसल का नाम	प्रस्तावित कृषिकरण क्षेत्रफल (हे0)	पौध प्रत्यारोपण का समय
1.	लैमनग्रास	100	माह– जुलाई एवं अगस्त
2.	डैमस्क गुलाब	55	माह– नवम्बर एवं दिसम्बर
3.	तेजपात/तिमूर	94	माह– जुलाई एवं अगस्त
4.	जापानी मिन्ट	45	माह– दिसम्बर एवं जनवरी
	योग	**294**	

....

Centre for Aromatic Pl...
CAP
Ph.: 2698335
Selaqui Dehradun

C:\Users\welcome\Desktop\Planting material arengment 18-19.doc

मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण की कार्ययोजना

क.सं	फसल का नाम	प्रशिक्षण का समय
1.	लैमनग्रास एवं तेजपात/तिमूर हेतु	माह– मई एवं जून
2.	डैमस्क गुलाब हेतु	माह– अगस्त एवं सितम्बर
3.	जापानी मिन्ट हेतु	माह– अक्टूवर एवं नबम्बर
	योग	

....

Centre for Aromatic Plants
CAP
Ph.: 2698305
Selaqui, Dehradun

C:\Users\welcome\Desktop\Planting material arengment 18-19.doc